

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल,  
माता गैरेज के पीछे, जयभोले काम्प्लेक्स के सामने, पंडरी रायपुर  
आदेश

दिनांक 24/01/2013

क्रमांक 25 एफ-17/2012/16, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा श्रम विभागीय आधिसूचना क्रमांक एफ 10-9/2011/16, रायपुर दिनांक 04.06.2011 द्वारा "संजीवनी एम्बुलेंस योजना" प्रदेश में संचालित है। किन्तु प्रदेश में "108 एम्बुलेंस योजना" प्रारंभ होने से संजीवनी एम्बुलेंस योजना की उपयोगिता कम हो जाने से छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वितीय कार्यकाल के चतुर्थ बैठक दिनांक 28.07.2012 में लिये निर्णय अनुसार "संजीवनी एम्बुलेंस योजना" का नाम "मोबाईल रजिस्ट्रेशन वैन" किया जाता है।

उपरोक्त आदेश दिनांक 05.09.2012 से भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभावशील होगी।

(छ0ग0 शासन श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

(सविता मिश्रा)

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मण्डल

रायपुर, दिनांक 29/01/13

पृ0क0 / / 6503-6536

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
4. श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम प्रदाधिकारी (छ0ग0) .....
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (छ0ग0) .....

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण

5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, रायपुर (छ0ग0)
6. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
7. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
8. कलेक्टर, जिला ..... (छ0ग0)
9. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
10. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/प्रभारी श्रम पदाधिकारी .....छ0ग0)
11. उप संचालक/प्रभारी उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा ..... (छ0ग0)
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका .....कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत .....
13. उप संचालक शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण  
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

# छत्तीसगढ़ शासन

## श्रम विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

—: अधिसूचना :-

रायपुर, दिनांक: 04/06/2011

क्रमांक एफ 10-9/2011/16: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम, 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है।

संजीवनी एम्बुलेंस योजना :-

(अ) योजना का प्रावधान :-

- (i) योजना का नाम "संजीवनी एम्बुलेंस योजना, 2011" होगा।
- (ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए चिकित्सा हेतु मण्डल द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा प्रदाय की जावेगी।
- (iii) उक्त योजना में होने वाला सम्पूर्ण व्यय छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा।
- (iv) योजना के प्रावधान मण्डल बैठक दिनांक 30/04/2010 को हुये निर्णय से प्रभावशील होगा।

(ब) योजना हेतु पात्रता:-

- (i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रदेश के निर्माणी श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक है।

(स) स्वीकृति का अधिकार:-

- (i) योजना के अंतर्गत लाभ प्रदाय की स्वीकृति का अधिकार स्थानीय सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को होगा।

(द) अन्य विवरण:-

- (i) इस योजना के संबंध में कोई विसंगति होने पर, मण्डल के सचिव/अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*Kalvi*  
(के०डी० कुंजाम)  
उप सचिव,

*o/c*  
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग  
रायपुर, दिनांक: ०५/०६/२०११.

पु.क्रमांक एफ १०-९/२०११/१६.

प्रतिलिपि:-

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
- 2 स्टाफ आफिसर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
- 3 श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
- 4 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल, रायपुर (छ०ग०)
- 5 अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर
- 6 सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर
- 7 सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी..... (छ०ग०)
- 8 उप/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ..... (छ०ग०)
- 9 उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी १०० प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

*Kalvi*  
उप सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग